

भारत गणराज्य की सरकार और मोराक्को
की शाही सरकार के बीच सांस्कृतिक और
वैज्ञानिक सहयोग करार

.....

भारत गणराज्य की सरकार और मोराक्को की शाही सरकार ने, दोनों देशों के बीच विद्यमान मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की इच्छा से, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपने सम्बन्धों को प्रोत्साहित और विकसित करने की इच्छा से, वर्तमान करार पर हस्ताक्षर करने का निश्चय किया है और इसके लिए अपने-अपने पूर्णधिकारियों को नियुक्त किया है, जो, सल्लिख के आदान-प्रदान करने के बाद जो उन्हें पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, तथा यथोचित और सही रूप में दस्तावेज को स्वीकार करने के बाद निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद-1 : दोनों सविदाकारी पक्षकार, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, कला, प्रेस और रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, चलचित्रकला, खेलों, पर्यटन और शिल्पकला में लगी अपनी-अपनी सम्बन्धित संस्थाओं के बीच सहयोग के विकास में निम्नलिखित साधनों के माध्यम से सहायता करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे :

1) पत्रकारों, प्रोफेसरों, विद्वानों, शिक्षकों, फिल्म-निर्माताओं, साहित्यकारों, शिल्पकारों, युवक आदि के दौरों का आदान-प्रदान ;

2) दोनों सविदाकारी पक्षकारों में से एक पक्षकार द्वारा नामित राष्ट्रियों को, दूसरे पक्ष के विश्वविद्यालय और

वैज्ञानिक संस्थाओं, औद्योगिक उद्यमों और व्यावसायिक तथा उच्च अध्ययन के स्नातकोत्तर संस्थानों में, अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए दाखिला ;

3) कलाकारों और लोकगीत दलों, खेल तथा स्पोर्ट्स टीमों का आदान-प्रदान और मैत्रीपूर्ण खेल बैठकों का आयोजन ;

4) रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों, चलचित्रकला फिल्मों, पुस्तकों, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, साहित्यिक, कलात्मक और खेल प्रकाशनों का आदान-प्रदान ;

5) कला और परम्परागत शिल्पों की प्रदर्शनियों का आयोजन ; और

6) दोनों देशों के शिक्षण और अनुसन्धान संस्थानों के बीच अन्तर-विश्वविद्यालय सहयोग करार पर हस्ताक्षर करना जिसे संबंधित सरकारों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

अनुच्छेद -2 : प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार जहाँ तक सम्भव होगा, दूसरे पक्षकार द्वारा नामित उम्मीदवारों को, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, कलाओं, चलचित्रकला, शिल्पकला और वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्रों में अध्ययन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए, छात्रवृत्तियाँ प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद -3 : दोनों संविदाकारी पक्षकार उन शर्तों की जाँच को प्रोत्साहित करने का वचन देते हैं जिनके अन्तर्गत दूसरे देश में प्रदान किए गए डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और विश्वविद्यालय डिग्रियों को अपनी शैक्षिक और अन्य संस्थाओं में अध्ययन के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जा सके ।

अनुच्छेद -4 : प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, किसी भी उस पहल को अपने देश में प्रोत्साहित करेगा जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार के इतिहास और सभ्यता का चित्रण करना हो, विशेषकर, प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से ।

इसके लिए उपयुक्त प्रलेखी सामग्री का आदान-प्रदान किया जाएगा ।

अनुच्छेद -5 : दोनों संविदाकारी पक्षकार, उन करारों के अनुसार, जिन पर उनके अपने-अपने निकायों के बीच, दोनों देशों में से प्रत्येक में लागू विनियमों के अनुसार, हस्ताक्षर किए जाएंगे, अनुवाद, प्रकाशन और शिक्षा, विज्ञान, कलाओं, स्वास्थ्य, शिल्पकला और खेलों से सम्बन्धित चुनिन्दा कृतियों के वितरण के माध्यम से, अपने सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद -6 : दोनों पक्षकार दोनों देशों के यूनेस्को के राष्ट्रीय आयोगों के बीच सम्बन्ध स्थापित तथा सुदृढ़ करने को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद -7: संविदाकारी पक्षकार, यथासम्भव तथा अपने-अपने देशों के कानूनों के अनुसार इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों विशेषकर, इतिहास और भूगोल की पाठ्य-पुस्तकों में एक दूसरे के देश के बारे में तथ्यों का गलत और मिथ्या वर्णन न हो ।

अनुच्छेद -8 : दोनों संविदाकारी पक्षकार, विशेषज्ञों के भ्रमणों के आदान-प्रदान, पुस्तकों और प्रकाशनों के आदान-प्रदान के माध्यम से अपने-अपने संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अन्य सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्थाओं के बीच सहयोग को भी

सुकर बनाएगी।

अनुच्छेद -9 : दोनों सँविदाकारी पक्षकार, जहाँ तक सम्भव होगा, अपने - अपने रेडियो प्रसारण और दूरदर्शन तथा अन्य सूचना माध्यमों, पर्यटन और शिल्प-कलाओं के निकायों के बीच सीधे सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। वे दोनों पक्षों की सम्बन्धित संस्थाओं के बीच करारों अथवा विशेष व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर करने को सुकर बनाएगी।

अनुच्छेद -10 : दोनों सँविदाकारी पक्षकार वर्तमान सामान्य करार के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए और अंततः त्रिवार्षिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रमों, जिन्हें ठोस कारवाइयों और उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया हो, और इस सहयोग से सम्बन्धित उपयुक्त वित्तीय आवश्यक्तियों की अन्तिम रूप देने की सम्भावना की जाँच करने के लिए आवधिक रूप से एक दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे। ये विचार-विमर्श राजनयिक माध्यमों से किए जाएंगे।

अनुच्छेद -11 : वर्तमान करार अनुसमर्थन-लिखितों के विनिमय की तारीख से लागू होगा। यह, दोनों में से एक सँविदाकारी पक्षकार द्वारा इसे समाप्त करने का नोटिस दिए जाने के छह महीने बाद तक लागू रहेगा।

जिसके साथ में वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए गए

हैं :

रबात में 1981 की जनवरी के 92 वॉ दिन
आठ मूल प्रतियों में, हिन्दी, अरबी, फ्रेंच और अंग्रेजी
भाषाओं में, प्रत्येक में दो-दो, किया गया, सभी पाठ
कानूनी रूप से वैध होंगे।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

मोरक्को की शाही सरकार
की ओर से

 +M

शंकर शंकर
92-9-69

शंकर शंकर चव्हाणा

मोहम्मद बुय्याता

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री विदेश तथा सहायक मंत्री

CULTURAL AND SCIENTIFIC COOPERATION
ACCORD BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT
OF THE KINGDOM OF MOROCCO

....

The Government of the Republic of India, and the Government of Kingdom of Morocco, desirous to strengthen the bonds of friendship existing between the two countries, anxious to promote and develop their relations in the fields of education, culture, science and technology, have decided to sign the present accord and have appointed to this effect their plenipotentiaries, who, after having exchange the Protocol giving them full powers, and after having recognised the documents to be in due and correct form, have agreed on the following provisions:

ARTICLE 1: The two contracting parties will favour and encourage the development of cooperation between their respective institutions entrusted with education, culture, science, art, press and radio broadcasting, television, cinematography, sports, tourism and craftsmanship, through means such as:

1) Exchange of visits of journalists, professors, savants, teachers, film producers, men of letters, craftsmen, youth etc.;

2) The admission of nationals nominated by each of the two contracting parties to undertake studies and training in the university and scientific institutions, industrial enterprises and post-graduate institutes of professional and higher studies belonging to the other side;

3) Exchange of artists and folklore troupes, sports and athletic teams and organisation of friendly sports meetings;

4) Exchange of radio and television programmes, cinematographic films, books, cultural, scientific, technical, literary, artistic and sports publications;

5) Organisation of exhibitions of arts and traditional crafts; and

6) The signing of the Inter University Cooperation Agreement between teaching and research institutes of the two countries to be finalised through the respective Governments.

ARTICLE 2: Each of the contracting parties will grant to the extent possible, to the candidates nominated by the other party, scholarships for studies and refresher courses in the fields of education, culture, science, arts, cinematography, crafts and scientific research.

ARTICLE 3: The two Contracting Parties undertake to encourage the examination of the conditions under which the diplomas, certificates and university degrees awarded in the other country can be recognised for purposes of study in its own educational and other institutions.

ARTICLE 4: Each of the Contracting Parties will encourage on its territory any initiative aimed at the depiction of the history and civilisation of the other party, in particular, through the channel of press, radio and television.

To this effect, there will be exchange of adequate documentary material.

ARTICLE 5: The two contracting parties will promote their cooperation through translation, publishing, and distribution of selected works related to education, science, arts, health, crafts and sports on the basis of accords which will be signed between their concerned respective bodies in conformity with the regulations in force in each of the two countries.

ARTICLE 6: The two contracting parties will promote the establishment and strengthening of relations between the National Commissions of UNESCO of the two countries.

ARTICLE 7: The contracting parties shall, to the extent possible and subject to the laws of their respective countries, ensure that text-books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 8: The two contracting parties will also facilitate cooperation amongst their museums, libraries and other cultural and scientific institutions through exchange of visits of experts, exchange of books and publications.

ARTICLE 9: The two contracting parties will promote, to the extent possible, direct cooperation between their respective bodies of radio broadcast and television and other information media, tourism and crafts. They will facilitate the signing of accords or special arrangements between the

ARTICLE 10: The two contracting parties will consult each other periodically to review the implementation of the present general accord and, eventually, to examine the possibility of finalising triennial programmes of cultural and scientific cooperation stating all the concrete actions and steps to be taken, as well as the appropriate financial modalities related to this cooperation. These consultations will take place through diplomatic channels.


ARTICLE 11: The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for six months after the notice of termination has been given by either Contracting Party.

IN WITNESS WHEREOF, the present Agreement has been signed:

DONE at Rabat this 12th day of January, 1981,
in eight originals, two each in Hindi, Arabic, French and English languages, all the texts being legally valid.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF MOROCCO


12-1-81.
S.B. CHAVAN

Minister of Education and
Social Welfare



M'HAMED BOUCETTA
Minister of Foreign Affairs and
Cooperation